"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

प... ...मांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपु... ...002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2002—वैशाख 20, शक 1924

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 73/20/2002/उ.शि.—छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2002) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, ग्यारह जनवरी दो हजार दो को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको यह अधिनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2002

क्रमांक एफ 73/20/2002/उ.शि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 73/20/2002/उ.शि., दिनांक 11-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th January 2002

NOTIFICATION

No. F-73/20/2002/HE.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Shaikshanik Sansthaon Me Pratarna (Ragging) Ka Pratishedh Adhiniyam, 2001 (No. 5 of 2002) the State Government hereby appoints the date Eleventh January, 2002 on which this Adhiniyam shall come into force in the whole State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. TRIVEDI, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.